न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/228

1. अब्दुल मतीन पुत्र स्व0 अब्दुल समद ।
2. अब्दुल मोईम पुत्र स्व0 अब्दुल समद ।
3. अब्दुल शमीम पुत्र स्व0 अब्दुल समद ।
4. अब्दुल हलीम पुत्र स्व0 अब्दुल समद निवासीगण हाल बुर्ज मस्जिद के पास श्रीपुरा कोटा
5. श्रीमती बिसमिल्ला खातून बेवा अब्दुल समद ।
6. श्रीमती शकीना बेवा अब्दुल हमीद ।
7. अब्दुल रशीद पुत्र स्व0 अब्दुल हमदी मुसलमान निवासी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
8. जुलफीकार अली पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
9. इक्तिसार अली पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी रामचन्द्रपुरा, कोटा ।
10. फेस्रिदा पुत्री स्व0 श्री अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी, रामचन्द्रपुरा, कोटा ।
11. न्जमा पुत्री स्व0 श्री अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी रामचन्द्रपुरा, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अब्दुल रहीम पुत्र मौलाबक्श मुसलमान निवासी श्रीपुरा कोटा हाल निरवासी 3–ए–11 छत्रपुरा तालाब मदरसा दारूल उलुम के पास, कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील लाडपुरा, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर

कथन किया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खतौनी संख्या 05 में खसरा नम्बर 158 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा की भूमि खातेदारी में व खसरा नम्बर 157/247 रकबा 09 बिस्वा गैर खातेदारी में व खसरा नम्बर 159 रकबा 01 बिस्वा कुल 05 किता की कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी क्रम 1 से 4 के पिता व वादी क्रम 5 के पति श्री अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रहमान के खाते व कब्जे की भूमि है । खसरा नम्बर 158, 160, 161 के सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 28 रकबा 1.71 हैक्टर दर्ज की गई है व खसरा नम्बर 159 का नया नम्बर 27 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 1.72 हैक्टर दर्ज करते हुए अंकित किये गये हैं । वादीगण के पिता के खाते में दर्ज गैर खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 157/247 रकबा 0.09 बिस्वा का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौरान सेटलमेंट नया नम्बर 28/364 रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज करते हुए कायम किया गया है और उक्त नया नम्बर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया गया है जो कि गैर कानूनी व बिना किसी आदेश के ही दर्ज की गई है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्त है । वादीगण के पिता व पति अब्दुल समद की गैर खातेदारी में दर्ज होने व स्व अर्जित समपत्ति होने से वादीगण उनके पुत्र व पत्नी होकर वारिसान होने से उक्त पिता के खाते में दर्ज गैर खातेदारी की भूमि को स्वयं के नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार रखते हैं । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आदेश के उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का निर्णय व इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 28/364 से प्रतिवादी क्रम 1 को नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि को खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेंधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. तत्पश्चात् दिनांक 20.07.2006 को प्रतिवादी क्रम 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अब्दुल हमीद के वारिसान व अब्दुल समद की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार हैं । प्रस्तुत वाद का निस्तारण पक्षकारों के मूल बंटवारे के बाद 117/03 के साथ इस जमीन को उत्तरदाता प्रतिवादी के खाते से हटाकर अब्दुल समद के समस्त वैध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करते हुए खाते बांधने में, बंटवारा करने में उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2006 के द्वारा दावा वादी खारिज किया गया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 24.08.2006 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई है जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 03.07.2008 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

एक माह के अन्दर पक्षकार बनाते हुए सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट की गलती को नजर अन्दाज किया है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के कथनों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी उनके वकील साहब द्वारा बताने पर हुई जिस पर दिनांक 03.10.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 17.10.2017 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होने के बाद उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 158 की रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 की रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा की भूमि खातेदारी में व खसरा नम्बर 157/247 रकबा 09 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी में व खसरा नम्बर 159 रकबा 01 बिस्वा कुल 05 किता की 10 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा में दर्ज थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 1.71 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 27 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 1.72 हैक्टर दर्ज करते हुए अंकित किये गये हैं । गैर खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 157/247 रकबा 0.09 बिव का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट नया नम्बर 28/364 रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज करते हुए कायम किया गया है । उक्त नया नम्बर प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज किया गया है जो कि गैर कानूनी एवं बिना किसी आदेश के ही दर्ज किया गया है जो अवैध है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के खाते की आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए वादीगण इस आराजी को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं । वादी अपीलान्ट ने

ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालय में अपना दावा सिद्ध कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । वादी अपीलान्ट ने नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल आदि समस्त दस्तावेजात पेश किये थे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भू–प्रबन्ध विभाग का तरमीमी पर्चा, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2032 –35 खात संख्या 05, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 –57 खसरा संख्या हाल 27, 28, अन्य मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057,नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 नया खाता संख्या 134, नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 नया खााता संख्या 07, नकल जमाबन्दी सवंत 2049–52 नया खाता संख्या 11 पेश किये गये हैं ।

14. पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात को प्रदर्श नहीं कराया गया है और न ही पत्रावली पर वादी की ओर से किसी के बयान कराये गये हैं । इस प्रकरण में पूर्व में पेश की गई अपील में इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.07.2008 से प्रकरण इस दिशा – निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वादीगण अपीलान्ट प्रकरण में एक माह में पक्षकार बनाये और उसके उपरान्त सुनवाई की जावे । प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.08.2008 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.11.2008 को पेश हो अंकित किया गया है । इसके उपरान्त दिनांक 13.01.2009 की आदेशिका के अनुसार सीधे ही संशोधित टाईटल पेश किया गया है जो संशोधित टाईटल पेश किया गया है उसमें पत्रावली पर संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07. 2006 के अनुसार अब्दुल समद की पुत्रियों रेहाना सुल्ताना, रूखसाना एवं आबिदा बेगम को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि इस प्रार्थना पत्र में और पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दीं संवत् 2061–64 में भी रेहाना सुल्ताना, रूकसाना एवं आबिदा बेगम पुत्रियॉ अब्दुल समद अंकित हैं । इस प्रकार संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 नया खाता संख्या 07 के अनुसार भी रेहाना सुल्ताना, रूकसाना एवं आबिदा बेगम प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रकरण में वादीगण की ओर से किसी से बयान भी नहीं हुए हैं और न ही दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया गया है ।

15. इन समस्त तथ्यों के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 14/एन में किये गये विवेचन के अनुसार वादी अपीलान्ट प्रकरण में समस्त आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाएं और इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा